रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 2001/चैत्र 8, 1923

No. 148] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2001/CHAITRA 8, 1923

CENTRAL GUJARAT LIBRARY

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2001

सा.का.नि. 222(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 183

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2001

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम (राजस्व वितरण) आदेश, 2001 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2000 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को, उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

	राज्य	रु. करोड़ में
	(1)	(2)
1.	अरुणाचल प्रदेश	207.94
2.	असम	94.08
3.	हिमाचल प्रदेश	892.05
4.	जम्मू-कश्मीर	1794.91
5.	मणिपुर	301.48
6.	मेघालय	287.41
7.	मिजोरम	274.36
8.	नागालैण्ड	547.67
9.	उड़ीसा	304.72
10.	पंजाब	241.58

	राज्य	रु. करोड़ में
	(1)	(2)
11.	राजस्थान	811.97
12.	सिक्किम	144.24
13.	त्रिपुरा	419.30
14.	उत्तर प्रदेश	858.16
15.	उत्तरांचल	14.57
16.	पश्चिमी बंगाल	1436.26

(2) उप पैरा (1) के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2000-01 के लिए सिफारिश की गई रकमों का 85% हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में उपर्युक्त राज्यों के लिए सिफारिश किए गए अनुदानों के 15 प्रतिशत को रोक कर और उतना ही अंशदान केन्द्रीय सरकार से लेकर एक प्रोत्साहन निधि में जमा करने की सिफारिश की थी, जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय कार्यपालन के आधार पर अनुदान जारी किए जाएंगे।

(3) उप पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्ही राशियों के अतिरिक्त होंगी।

के. आर. नारायणन,
राष्ट्रपति।"

[फा. सं. 19(1)/2001-वि. I]
सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2001

G.S.R. 222(E).—The following Order made by the President is published for general information:
"C.O. 183"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 2001

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2001.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (*1*) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st

day of April, 2000, as grants-in-aid of the revenues to each of the State specified below, the sums specified against it:—

State (1)	Rupees in crores (2)
1. Arunachal Pradesh	207.94
2. Assam	94.08
3. Himachal Pradesh	892.05
4. Jammu and Kashmir	1794.91
5. Manipur	301.48
6. Meghalaya	287.41
7. Mizoram	274.36
8. Nagaland	547.67
9. Orissa	304.72
10. Punjab	241.58
11. Rajasthan	811.97
12. Sikkim	144.24
13. Tripura	419.30
14. Uttar Pradesh	858.16
15. Uttaranchal	14.57
16. West Bengal	1436.26

(2) The sums specified in column (2) of sub-paragraph (1) represent 85 per cent. of the amount recommended by the Eleventh Finance Commission for the year 2000-01. The Eleventh Finance Commission in its last report had recommended withholding of 15 per cent. of the grant recommended to the above States with matching contribution by the Central Government for crediting into an Incentive Fund from which fiscal performance based grants will be released to all the States.

(3) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

K. R. NARAYANAN,
President."

[F. No. 19(1)/2001-LI]
SUBHASH C. JAIN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.